न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 180/2022 (2022/777)

1. बैनाथ पुत्र श्री जगदीश
2. सुप्यार पत्नि श्री श्रवण
3. बजरंग पुत्र श्री श्रवण
4. रामेश्वर पुत्र श्री चतुर्भुज
5. गोपाल पुत्र श्री चतुर्भुज
6. राजु पुत्र श्री चतुर्भुज

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम कावरियां तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. श्रीमान तहसीलदार तहसील कार्यालय केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

——अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः—
श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड :— अधिवक्ता प्रार्थीगण
पेराकार सरकार :— जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 08/04/23

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत वादवर्णित आराजीयात वाके ग्राम कावरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
54—51	516/548	0.10	बारानी उत्तम
	521	0.95	बारानी उत्तम
	522	0.01	गै.मु.वाह
	523	0.74	चाही 3
	कुल किता 4	**कुल रकबा 1.80 हैक्टर**	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी, कब्जे काश्त, स्वामित्व की आराजीयात है। उक्त आराजीयात व अन्य आराजीयात के मध्य पूर्व में जो मेड सीमाबन्दी थी उसे धीरे—धीरे पडौसियों द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। जिससे प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात व पडोसियों की उक्त आराजीयातके मध्य सीमा रेखा विभाजन करने वाली रेखा या कोई सीमा चिन्ह इत्यादि नही है। जिसके कारण आये दिन प्रार्थीगण व पडोसियों के मध्य उक्त आराजीयात के संबंध में सीमा विवाद होते रहते है व लडाई झगडे होते रहते है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान करवाया था, जिसका सीमाज्ञान नही होने दिया और उक्त आराजीयात बाबत आये दिन पडौसी सीमा विवाद करते रहते है। तथा कब्जे बाबत भी आये दिन विवाद करते रहते है। दिनांक 17.04.2022 को पडौसी एकराय होकर ट्रेक्टर लेकर उक्त आराजीयात पर आये व गाली गलौच करके किसी सीमारेखा को नही मानने तथा खेतो के मध्य कोई डोल या मेड या पत्थरगढी नही करने देने धमकियां देने लगे जिसके कारण यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है।

Scanned with OKEN Scanner

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की आराजीयात पर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी द्वारा पत्रावली में जवाब प्रार्थना पत्र अंकित किया गया जिसके अनुसार पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी प्रतिलिपि के अनुसार प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि खातेदारी में दर्ज है, अतः राजहित प्रभावित नही होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम काबरिया तहसील केकडी की वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या नया पुराना 63--54 में दर्ज खसरा संख्या 516/548, 521, 522, 523 रकबा क्रमशः 0.10, 0.95, 0.01, 0.74 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

Scanned with OKEN Scanner